न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 40/2022

1. हरदेव सिंह पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. सुशीला पत्नी नरेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
3. सोहनी पत्नी भगवानाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।

आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
2. देवकरण पुत्र भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
3. बिमला पुत्री भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
4. मनोहरी पुत्री भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
5. श्रवण कुमार पुत्र भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
6. स्वार्थी पुत्री भुदाराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
7. सुशीला देवी पत्नी शीशराम जाति जाट निवासी दिलोई तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मण्डावा तहसील मण्डावा।

अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

निर्णय दिनांक 21.11.2024

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम दिलोई पटवार हल्का दिलोई की सरहद में आराजी ख. न. 436/29 रकबा 1.46 हैक्टर, ख.न. 438/31 रकबा 0.17 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 1.63 हैक्टर भूमि आवेदक संख्या 1, ख.न. 30 रकबा 0.15 हैक्टर, ख. न. 434/29 रकबा 2.19 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 2.34 हैक्टर भूमि आवेदक संख्या 2 तथा ख.न. 435/29 रकबा 0.58 हैक्टर, ख. न. 437/31 रकबा 0.06 हैक्टर कुल किता 2 रकबा 0.64 हैक्टर आवेदक संख्या 3 की खातेदार काश्तकारी की भूमि है। जिस पर वे शान्ति पूर्वक काबिज हैं आवेदकगण एंव अनावेदक सं.7 के मध्य सीमा बाबत कोई विवाद नहीं है।आवेदकगण अपनी खातेदारी एंव काश्तकारी की उपरोक्त वर्णित भूमि में आवारा पशुओं से फसल बचाने एंव अन्य भूमि सुधार कार्य हेतु तारबन्दी करवाना चाहते है जिसके लिये उक्त भूमि की पत्थर गड्डी करवायी जानी न्याय संगत है।आवेदकगण ने प्रार्थना पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि का सीमा ज्ञान दिनाकं 28.05.2022 को तहसीलदार महोदय मण्डावा के आदेश कमाकं 29 दिनांकित 28.05.2022 की पालना में पटवार हल्का दिलोई द्वारा करवाया जा चुका है। उक्त सीमाज्ञान की फर्द दिनांकित 28.05.2022 मौतबिरान्तों के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवाकर तैयार की गयी है। जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत है तथा आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की पत्थर गड्डी भी मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 28.05.202.2 करवाना चाहते है जो किया जाना न्यायोचित भी है।आवेदन पत्र की धारा 1

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

में वर्णित आराजीयात में समस्त पड़ौसी खातेदारों को आवश्यक पक्षकार होने से अनावेदकगण बनाया गया है ताकि आवेदन पत्र में कानुनी नुक्श न रहे।आवेदकगण एंव अनावेदकगण के मध्य कब्जा काश्त बाबत कोई विवाद नहीं है। केवल मात्र सीमा बाबत भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न न हो जिससे सामाजिक सोहार्द बना रहे इसलिये उक्त आवेदन श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश है।अतः आवेदन पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में मय शपथ पत्र पेशकर निवेदन है कि आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण की खातेदारी काश्तकारी की भूमि ख.न. 436/29 रकबा 1.46 हैक्टर, ख. न. 438/31 रकबा 0. 17 हैक्टर, ख.न. 30 रकबा 0.15 हैक्टर, ख.न. 434/29 रकबा 2.19 हैक्टर, ख.न. 435/29 रकबा 0.58 हैक्टर, ख.न. 437/31 रकबा 0.06 हैक्टर वाके ग्राम दिलोई पटवार हल्का दिलोई की पत्थर गड्डी मौका सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 28.05.2022 के मुताबिक किये जाने का आदेश फरमाये जावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 06 की ओर से अभिभाषक उपस्थित होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि आवेदकगण ने मौजूदा प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 के आधार पर पेश किया है। सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 28.05.2022 अपूर्ण व अस्पष्ट है सीमाज्ञान फर्द राजस्व नियमों के मुताबिक तैयार नहीं की गयी है। सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 में खसरा नम्बर 30 व 31 पर अनावेदकगण नं. 1 लगायत 6 का कब्जा काश्त होना बताया गया है। सीमाज्ञान फर्द में वाद दायर कर राहत प्राप्त करने की सलाह दिया जाना भी अकित है इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र आरम्भतः पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य हैंसीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 आवेदकगण द्वारा भूमि हाल खसरा नम्बर 30 व 31 पर अनावेदकगण नं. 1 लगायत 6 का कब्जा काश्त होना स्वीकृत तथ्य है। आवेदकगण कब्जा प्राप्त करने हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध बेदखली का वाद पत्र दायर कर ही कानूनन अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।आवेदकगण अपूर्ण व अस्पष्ट एक पक्षीय सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05. 2022 के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र के जरिये पत्थरगड्डी आदेश जारीकरवाकर अनावेदक संख्या 1 लगाायत 6 को बेदखल करने का कानून अधिकारी नहीं है इस कारण भी अनावेदक का प्रार्थना पत्र आरम्भतः खारिज होने योग्य है।मदवार उत्तर –प्रार्थना पत्र की दम संख्या 1 जिस प्रकार से दर्ज अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में दर्ज अनुसार राजस्व रिकार्ड होना विवादित नहीं है। यह कहना गलत है कि आवेदकगण व अनावेदक संख्या 7 शांतिपूर्वक काबिज़ हो। अनावेदक व अनावेदक संख्या 7 ने आपस में दुरभिसंधि कर रखी है। आवेदक व अनावेदक संख्या 7 ने अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 के खेतों में जाने के कदीमी सुखाधिकार प्राप्त रास्ते में अवरोध पैदा कर अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का रास्ता अवरूध कर रखा है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 व अनावेदक संख्या 7 के मध्य रास्ते का प्रकरण वर्तमान में निगरानी संख्या 2023/4904 उनवानी श्रवण कुमार बनाम सुशीला आगामी पेशी दिनांक 22.04. 2024 रेवेन्यू बोर्ड अजमेर में लम्बित चल रही है। आवेदकगण व अनावेदक संख्या 7 में मिलकर अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की पुश्तेनी भूमि के पुश्तेनी सुखाधिकार प्राप्त रास्ते को अनुचित रूप से बंद कर रखा है।प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 जिस प्रकार से दर्ज है अस्वीकार है। यह कि कहना गलत है कि आवेदकगण कृषि कार्य हेतु तारबंदी करवाना चाहते हो। आवेदकगण वर्तमान में निर्मित गलत नक्शा शीट को दुरूस्त करवाये बिना अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की भूमि पर पत्थरगड्डी करवाने के लिए कानून की आड़ में अनुचित रूप से अनावेदकगण संख्या 1 लगायत 6 की भूमि पर काबिज होना चाहते है। जिस हेतु पत्थरगड्डी आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं है विस्तृत जबाब अतिरिक्त कथन में दिया जा रहा है।यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 जिस

उपखण्ड अधिकारी

प्रकार से दर्ज अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज अनुसार सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.20222 तैयार होना विवादित नहीं है लेकिन सीमाज्ञान फर्द गलत तैयार करवायी गयी है। विस्तृत जबाब प्रारम्भिक आपत्तीयों की मद संख्या 1 व 2 में दिया जा चुका है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 4 जिस प्रकार से दर्ज अस्वीकार है। आवेदकगण ने अनावेदक संख्या 7 की सीमा पर पत्थरगड्डी का अनुतोष नहीं चाहा गया है। विस्तृत जवाब जबाब प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दिया जा चुका है।प्रार्थना पत्र की मद संख्या 5 जिस प्रकार से दर्ज अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि मौके पर कब्जे का विवाद नहीं हो। सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 में हाल खसरा नम्बर 30 व 31 पर अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का कब्जा होना आवेदकगण द्वारा फर्द सीमाज्ञान दिनांक 28.05.2022 के जरिये स्वीकृत तथ्य है। भूमि के कब्जे के विवाद का निस्तारण पत्थरगड्डी कार्यवाही के जरिये नहीं हो सकता। सक्षम न्यायालय ने सक्षम वाद पत्र के जरिये ही कब्जे के विवाद का निस्तारण होना संभव है।अतिरिक्त कथन – आवेदकगण व अनवोदक संख्या 1 लगायत 7 की भूमि के गत खसरा नम्बर 21 व 8 रहे है गत खसरा नम्बर 21 व 8 अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की पुश्तेनी संयुक्त खातेदारी की भूमि रही है। गत खसरा नम्बर 21 व 8 केप्रथम विभाजन से गत खसरा नम्बर 21/1 व 21/2 तथा 8/1 व 8/2 कायम हुये थे। प्रथम विभाजन से गत खसरा नम्बर 21/1 व 8/1 के पूर्वी दिशा में विभाजन सीमा कामय हुये थे उक्त विभाजन सीमा के मुताबिक अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 का निरन्तर कब्जा काश्त चला आ रहा है। गत खसरा नम्बर 21/2 के पूर्वी दिशा में गत खसरा नम्बर 14 व 15 की भूमि स्थित रही है। गत खसरा नम्बर 14 व 15 की भूमि में से गत खसरा नम्बर 21/2 के पूर्व दिशा में सार्वजनिक आम रास्ता रहा है। गत खसरा नम्बर 21/2 के पूर्वी दिशा में रास्ता गत खसरा नम्बर 14 व 15 की भूमि में से रहा है जो वर्तमान में हाल खसरा नम्बर 258 जो मौके पर सडक के रूप में स्थित है। हाल खसरा नम्बर 258 वर्तमान गत खसरा नम्बर 14 व 15 की भूमि स्थित नहीं होकर गत खसरा नम्बर 21/2 (वर्तमान खसरा नम्बर 29) में स्थित है। इस प्रकार गत खसरा नम्बर 21/2 (वर्तमान खसरा नम्बर 29 का वर्तमान में मौके पर रास्ता खसरा नम्बर 258 की भूमि कम करने पर मुताबिक राजस्व रिकार्ड पुरा क्षेत्रफल नहीं बनता है। आवेदकगण रास्ते की भूमि हाल खसरा नम्बर 258 की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 29 में से कम कर वर्तमान खसरा नम्बर 29 का पुरा क्षेत्रफल अनावेदकगण की भूमि में पुरा करने हेतु गलत सीमाज्ञान फर्द रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगड्डी से पुरा करना चाहते है जिसके लिए आवेदकगण व अनावेदकगण 7 कानन अधिकारी नहीं है।गत खसरा नम्बर 21/1 व 8/1 व गत खसरा नम्बर 21/2 व 8/2 के मध्य की सीमा रेखा गत नक्शा शीट सम्वत 1935–36 के मुताबिक वर्तमान नकशा शीट सन् 1992–93 में सही दर्ज नहीं है। इसी प्रकार गत खसरा नम्बर 21/2 व गत खसरा नम्बर 14 व 15 के मध्य की सीमा रेखा व रास्ते काकन भी गत नक्शा शीट के मुताबिक वर्तमान नक्शा शीट में सही दर्ज नहीं है।वर्तमान खसरा नम्बर 29, 30 व 31 की पश्चिमी सीमा रेखा वर्तमान में गत नक्शा शीट के मुताबिक सही दर्ज नहीं है। हाल खसरा नम्बर 31 की पश्चिमी सीमा अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के खेत हाल खसरा नम्बर 401/35 व 407/44 के अन्दर की तरफ गलत नक्शा शीट कायम होकर दर्ज हो रखी है। अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 के खेतों की पश्चिमी सीमा रेखा का अंकन भी गत नक्शा शीट के मुताबिक वर्तमान नक्शा शीट में सही दर्ज नहीं है।आवेदकगण इस मद में वर्णित उपरोक्त आधारों पर वर्तमान नक्शा शीट को गत नक्शा शीट के मुताबिक दुरूस्त करवाकर अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 की उपस्थिति में राजस्व टीम द्वारा निर्धारित सीमा ज्ञान व नियमों के अनुसार पुनः सीमाज्ञान नहीं करवाने तक किसी भी प्रकार से पत्थरगड्डी व बेदखली की कार्यवाही के आदेश अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध अदालत हाजा के विरूद्ध पारित करवाने के अधिकारी नहीं है।वर्तमान खसरा नम्बर 29 के विभाजित खसरा नम्बर 434/29 व 30 के दक्षिणी सीमा पर 10 फीट चौड़ाई में रास्ते की भूमि मूल खातेदार द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

विक्रय पत्रों में दर्ज कर बेचान से मुक्त रखी गयी थी। जिस पर खसरा नम्बर 29 के खातेदार ने अनुचित रूप से कब्जा कर अनोवदक संख्या 1 लगायत 6 का मौके पर रास्ता बंद कर रखा है। अनावेदक संख्या 7 के विरूद्ध सुखाधिकार प्राप्त रास्ते को बंद करने पर मुकदमा कर रखा है जो राजस्व मण्डल अजमेर में लम्बित हैं इस प्रकार आवेदकगण व अनावेदक संख्या 1 लगायत 7 ने वास्तविक तथ्यों को छुपाकर राजस्व कर्मचारियों से साज कर गलत सीमाज्ञान रिर्पोट बनवायी है। जो काबिले खारीज योग्य है।

बहस विद्वान अधिवक्ता श्रवण की गई। दौराने बहस विद्वान प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया तथा निवेदन किया कि सीमा ज्ञान दिनाकं 28.05.2022 के द्वारा करवाया जाचुका है। उक्त सीमाज्ञान की फर्द दिनांकित 28.05.2022 मौतबिरानों के समक्ष उनके हस्ताक्षर करवाकर तैयार की गयी है। आवेदकगण उक्त वर्णित भूमि की पत्थर गड्डी भी मुताबिक सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 28.05.2022 करवाना चाहते है जो किया जाना न्यायोचित भी है। अतः पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया ।

बहस विद्वान अप्रार्थी अधिवक्ता ने जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के दौराते हुए निवेदन किया कि स्वीकार कर पत्थरगढ़ी करवाये जाने का अनुरोध किया तथा निवेदन किया कि आवेदकगण ने मौजूदा प्रार्थना पत्र सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 के आधार पर पेश किया है। सीमाज्ञान फर्द दिनांकित 28.05.2022 अपूर्ण व अस्पष्ट है सीमाज्ञान फर्द राजस्व नियमों के मुताबिक तैयार नहीं की गयी है। सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 में खसरा नम्बर 30 व 31 पर अनावेदकगण नं. 1 लगायत 6 का कब्जा काश्त होना बताया गया है। सीमाज्ञान फर्द में वाद दायर कर राहत प्राप्त करने की सलाह दिया जाना भी अकित है इस कारण मौजूदा प्रार्थना पत्र आरम्भतः पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य हैं। सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 आवेदकगण द्वारा भूमि हाल खसरा नम्बर 30 व 31 पर अनावेदकगण नं. 1 लगायत 6 का कब्जा काश्त होना स्वीकृत तथ्य है। आवेदकगण कब्जा प्राप्त करने हेतु अनावेदक संख्या 1 लगायत 6 के विरूद्ध बेदखली का वाद पत्र दायर कर ही कानूनन अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी है।आवेदकगण अपूर्ण व अस्पष्ट एक पक्षीय सीमाज्ञान फर्द दिनांक 28.05.2022 के आधार पर मौजूदा प्रार्थना पत्र के जरिये पत्थरगड्डी आदेश जारी करवाकर अनावेदक संख्या 1 लगाायत 6 को बेदखल करने का कानून अधिकारी नहीं है इस कारण भी अनावेदक का प्रार्थना पत्र आरम्भतः खारिज होने योग्य है। अतः आवेदक गण को प्रार्थना पत्र मय हर्ज खर्च के खारिज फरमाया जावें।

मिसल का अवलोकन किया । मिसल में मौजुद दस्तावेजात एवं दौराने बहस विद्वान अधिवक्ताओं के तथ्यों पर मनन एवं अध्ययन किया । तहसीलदार की सीमाज्ञान रिपोर्ट 28.05.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक गण की भूमि पड़ौसी खातेदार भूमि ख.न. 30 व 31 पर कब्जा काश्त है। आवेदकगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जो रिलिफ अ. धारा 111 एवं 128 भू– राजस्व अधिनियम 1956 के तहत चाही है वह इन धाराओं में दी जानी संभव नही है। अतः आवेदकगण का उक्त प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने के कारण खारीज किया जाता है। आवेदकगण अवैध कब्जे के सबंध बेदखली वाद करने हेतु स्वतंत्र है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज़ दिनांक 21.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा